



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 49-2025] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 5, 2025 (AGRAHAYANA 14, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

लोक निर्माण (भवन तथा सड़के) विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 दिसम्बर, 2025

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013)

संख्या 28GA-87/D-14.— चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल ने अपनी अधिसूचना संख्या 28GA-87/D-13 दिनांक 05.12.2024 के माध्यम से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19(1) के अंतर्गत यह घोषणा की थी कि लोक प्रयोजन के लिए गांव सुल्तानपुर (39), मुबारिकपुर (37), बुढेडा (43) व चन्दु (44), तहसील फरुखनगर और हरसरु जिला गुरुग्राम में कुल 47.93 एकड़ भूमि अपेक्षित है, अर्थात् जिला गुरुग्राम में झज्जर-फरुखनगर-गुरुग्राम रोड (राज्य मार्ग सं. 15ए) को कि. मी. 21.300 से 34.800 तक चार मार्गीय करने हेतु।

अब हरियाणा सरकार का यह मत है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 05.12.2024 के पश्चात परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनके कारण उक्त अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित अवधि को बढ़ाना न्यायसंगत है। इसलिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना धारा 19(1) के अंतर्गत पारित अवधि को बारह (12) माह के लिए बढ़ाया जाता है ताकि अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत पुरस्कार (AWARD) की घोषणा की जा सके। यह अवधि दिनांक 10.12.2025 से प्रभावी मानी जाएगी।

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक:

(हस्ता०)...

अधीक्षक अभियंता

गुरुग्राम वृत्त,

पी.डब्ल्यू.डी.(बी.एण्ड.आर.)

गुरुग्राम।

HARYANA GOVERNMENT**PUBLIC WORKS (BUILDING AND ROADS) DEPARTMENT****Notification**

The 3rd December, 2025

(The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013)

No. 28GA-87/D-14.— Whereas the Governor of Haryana, *vide* its Notification No. 28GA-87/D-13 dated 05.12.2024 issued under section-19(1) of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 has declared that a total of **47.93** acres land is required in the **Villages Sultanpur (39), Mubarikpur (37), Budhera (43) and Chandu (44)** Tehsil Farrukhnagar and Harsaru District Gurugram for public purpose, namely, **4-lanning of Jhajjar- Farrukhnagar- Gurugram road (SH-15A) from Km 21.300 to 34.800 in Gurugram District.**

The Governor of Haryana, as having its opinion that, the circumstance so exist for justifying extension of period of the aforesaid notification u/s 19(1) of the Act, in exercise of the powers conferred by proviso to section-25 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013, hereby extend the Period of 12 (twelve) months to the aforesaid notification of 19(1) of the Act, for pronouncement of an Award under section-23 of the act. The period of 12 (twelve) months will be effective from the date of 10.12.2025.

Place: Gurugram
Date:

(Sd.)...,
Superintending Engineer,
Gurugram Circle,
PWD B&R Br., Gurugram.